राज्य सूचना आयोग,

<u>अपील क्रमांक / ए–26 / रासूआ / 20 / इंदौर / 05–06 /</u>

श्री प्रमोद पंचोनिया,एच डी–41,तक्षशिला
राजेंद्र नगर,इंदौर
अपीलकर्ता

विरूद्ध

श्री एल0एस0सोलंकी, लोक सूचना अधिकारी
लोक सूचना अधिकारी एवं कुल सचिव
डॉ0 बाबा साहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान
संस्थान, महू (म0प्र0)

<u>आदेश दिनांक 14 मार्च 2006</u>

श्री प्रमोद पंचोनिया (अपीलकर्ता) ने डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान,महू जिला इंदौर के राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के अंतर्गत दिनांक 21 नवंबर, 2005 को एक आवेदन देकर कु0 टीना महावर के जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये दिया था । इस आवेदन पत्र को कु0 टीना महावर की आपत्ति करने पर अमान्य कर दिया गया था । अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील दिनासंक 17 दिसम्बर, 2005 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्षप प्रस्तुत कर दी गई । इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत कमी गई है ।

2. अपीलकर्ता का यह कहना है कि कु0 टीना महावर ने संस्थान में एम0फिल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र देकर अनुसूचित जाति के कोटे में प्रवेश प्राप्त किया और एम फिल की डिग्री प्राप्त की । कु0 टीना महावर की वास्तव में जाति कोली है जो कि अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है जबकि उन्होने जाति प्रमाण पत्र में अपनी जाति कोलचा बायी है जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है । शासकीय संस्थानों में प्रवेश के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये अलग–अलग आरक्षण के लिये कोटा निर्धारित है । अपीलकर्ता ने इस संबंध में अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया है जिनके आधार पर उन्हें जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है ।

3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । लोक सूचना अधिकारी ने यह प्रतिवेदन दिया है कि इस प्रकरण में कु0 टीना महावर तृतीय पक्ष है उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर दिया गया था उन्होने अपने संबंध में व्यक्तिगत जानकारी दिये जाने पर आपत्ति प्रकट की है। उनका यह कहना है कि इस संबंध उनके पारिवारिक रिश्तों से है और यह जानकारी दिया जाना उचित नही है । कु0 टीना महावार की आपत्ति को देखते हुये यह आवेदक निरस्त किया गया है ।

4. इस विषय में अपीलकर्ता श्री प्रमोद पंचोनिया एवं संस्थान के महानिदेशक श्री एस0के0दास एवं लोक सूचना अधिकारी श्री एल0एल0सोलंकी को दिनांक 14 मार्च, 2006 को सुना गया । इसमें सन्देह नहीं है कि यह सूचना वैयक्तिक सूचना की श्रेणी में आती है और कु0 टीना महावर जो कि तृतीय पक्ष है उन्होने इस सूचना को दिये जाने में लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है ।

5. उल्लेखनीय अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के अन्तर्गत वैयक्तिक सूचना देने क लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है, यदि उसके प्रकटीकरण से किसी लोक गतिविध या लोकहित का संबंध नही है या जो किसी वैयक्तिक गोपनीयता या एकान्तता पर अनेपेक्षित आक्रमण करता हो मौखिक सुनवाई के समय अपीलकर्ता का ध्यान अधिनियम के इस प्रावधान की ओर आकर्षित किया गया और उनसे यह बताने के लिये कहा कि इस प्रकार की सूचना दिये जाने में किस प्रकार का लोकहित सन्नहित है और किस प्रकार से इसका सबंध लोक गतिविधि से है उन्होने यह बताया कि जो प्रमाण पत्र टीना महावर ने दिया है वह जाली है और उन्होने जाली प्रमाण पत्र देकर प्रवेश पाकर अन्य व्यक्ति जिसे प्रवेश मिल सकता था उसके अधिकारों पर कुठाराघात किया है इसलिये यह विषय लोकहित से संबंधित है ।

6. मैने अपीलकर्ता के तर्क पर विचार किया । अपीलकर्ता ने जो यह कहा है कि कु0 टीना महावर के व्दारा दिया गया प्रमाण पत्र जाली हे उसका कोई आधार नही है । यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हितों पर कु0 टीना महावर के प्रवेश दिये जाने से कुठाराघात हुआ है तो वह सामान्य न्यायिक कार्यवाही कर सकता था जो इसमें नहीं की गई है । इस आयोग का संबंध सूचना दिये जाने से है , व्यक्तिगत विवादों को सुलझाने से नही । जैसा कि उपर कहा गया है कि जो जानकारी अपीलकर्ता ने मांगी है वह निसन्देह वैयक्तिक है और उसे देने के लिये राज्य लोक सूचना अधिकारी बाध्य नही है इसके अतिरिक्त जानकारी से संबंधित तृतीय पक्ष ने लिखित में आपत्ति भी प्रस्तुत की है । ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित है और उसमें किसी प्रकार का संशोधन किये जाने का औचित्य नही है । अतः अपीलकर्ता का आवेदन अस्वीकार किया जाता है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
14 मार्च, 2006